आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
08/06/18	**न्यायालय आरबीट्रेटर सह अपर समाहर्त्ता, पटना** **विवाचन वाद सं0–74/2014** **मो0 धनपतीया देवी बनाम सरकार** **आदेश** प्रस्तुत वाद NH-30 पटना–बख्तियारपुर फोरलेन विस्तारिकरण हेतु LA Case No. 123/2012-13 द्वारा अर्जित मौजा–अब्दुल रहमानपुर, थाना नं0–39 में अर्जित खाता सं0–120, खेसरा सं0–691 के प्रभावित रैयत मो0 धनपतीया देवी पति स्व0 शिव महतो, सा॰–रामपुर, थाना–बहादुरपुर, जिला–पटना द्वारा उनसे सम्बन्धित रकवा 0.17613 एकड़ का 100% मुआवजा राशि प्राप्त करने के पश्चात दाखिल किया गया है। वादी का दावा है कि उनकी भूमि PRDA के क्षेत्राधिकार तथा PMC अन्तर्गत है एवं उनकी भूमि व्यावसायिक/आवासिय भूमि के रूप में घोषित है। इसके बावजूद सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ने उनकी भूमि को कृषि प्रकृति रूप में वगैर जाँच के प्रकाशित करा दिया तथा LA Case No. 123/2012–13 द्वारा अर्जित खेसरा 691 से रकवा 0.17613 एकड़ का मात्र 70,000.00 प्रति डी0 की दर से निर्धारित कर दिया गया है। जबकि उक्त भूमि के बगल में वोक्सवैगन कार, टाटा मोर्टस लि0, बुद्धा टोयटा, पाटलीपुत्रा JCB क्लब एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। उक्त वर्णित भूमि की दर आवासीय/ व्यावसायिक निर्धारित कर आरबीट्रेशन एवार्ड निर्गत करने का एवार्डी की ओर से अनुरोध किया गया। प्रश्नगत वाद से सम्बन्धित भूमि के भू–अर्जन हेतु निम्न प्रकार से कार्यवाई की गई है:– 1) NH Act 1956 की धारा 3 (A) के तहत अधिसूचना–1912(अ॰)/21.08.12 2) NH Act 1956 की धारा 3 (A) के तहत पेपर प्रकाशन– 14/09/12 3) NH Act 1956 की धारा 3 (D) के तहत अधिसूचना–760(अ॰)/18.03.13	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	4) NH Act 1956 की धारा 3 (A) के पेपर प्रकाशन–19.04.13 5) जमीन का वर्गीकरण – कृषि 6) दर 50% जोड़कर – 1,05,000,00.00 प्रति एकड़ 7) कुल अर्जित रकवा – 1.86999384 एकड़ एवार्डी द्वारा दायर विवाचन वाद के आलोक में सभी सम्बन्धित पक्षों को सूचना निर्गत की गई। साथ हीं अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, पटना सिटी तथा अंचल अधिकारी, पटना सदर से स्थल जाँच कर स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई। सविस्तार सुनवाई के पश्चात अभिलेख आदेशार्थ रखा गया। सुनवाई के क्रम में वादी द्वारा अपने उपरोक्त दावों को दोहराया गया, जबकि सक्षम प्राधिकार कि ओर से कहा गया कि मुआवजा भुगतान सरकारी निदेश एवं भू–अर्जन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया गया है। उक्त भूमि का उपयोग कृषि कार्य में किये जाने तथा आसपास कि भूमि पर भी कृषि कार्य होने के कारण समरूप प्रकार के मौजा–जेठुली की भूमि की निर्धारित दर के आधार पर दर निर्धारित कर मुआवजा भुगतान किया गया है। इसमें किसी प्रकार के विभागीय निदेश एवं प्रावधानों की अवहेलना नहीं की गई है। परियोजना निदेशक NHAI कि ओर से कहा गया है कि दावाकर्त्ता कि ओर से एवार्ड राशि प्राप्ति के समय मुआवजा राशि के मूल्यांकन पर किसी प्रकार कि आपत्ति नहीं की गई है। उनकी ओर से कहा गया कि इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक आदेश पारित है, जिसमें कहा गया है कि आरबीट्रेटर एवार्ड न तो कोई न्यायिक आदेश है और न हीं डीक्री है। फलस्वरूप इसे उदाहरण या नियम के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। NHAI की ओर से आगे कहा गया कि माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सम्बंधित प्राधिकार विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर मामले का परीक्षणोपरान्त विधि संगत आदेश पारित कर सकता है। फलस्वरूप पूर्व में आरबीट्रेटर द्वारा किसी विवाचन वाद में पारित आदेश को वादी द्वारा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना अथवा उक्त आदेश को	

[illegible] की [illegible] सं० [illegible] तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

वादी द्वारा आधार बनाया जाना तर्क संगत नहीं है। परियोजना निदेशक द्वारा आगे कहा गया कि वाद ग्रस्त भूमि कृषि प्रकृति की थी, फलस्वरूप ही जाँचोपरान्त उक्त भूमि को सक्षम प्राधिकार द्वारा कृषि प्रकृति में रखते हुए मुआवजा भुगतान हेतु दर का निर्धारण किया गया है। साथ ही कहा गया कि वाद ग्रस्त भूमि अब NH-30 के Branch Road के बगल में अवस्थित है। वादी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि उनके भूखण्ड का व्यवसायिक उपयोग किया जाता था। अतः वादी द्वारा लाए गये वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

मामले के तर्कसंगत निस्तारण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी पटना सिटी की अध्यक्षता में उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, पटना सिटी एवं अंचल अधिकारी, पटना सदर द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात पत्रांक–02 दिनांक–15.01.2018 से समर्पित प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड NH-30 पटना–बख्तियारपुर फोरलेन के दक्षिण में अवस्थित है तथा उक्त भूमि मुख्य सड़क के किनारे रोड के ढलान (स्लोपिंग) पर अवस्थित है। आवेदक की प्रश्नगत भूमि चाहरदीवारी के अन्दर परती है तथा आस पास की भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त भूमि पर पथ निर्माण से पूर्व तथा पथ निर्माण के पश्चात शेश बचे भूमि पर कृषि कार्य ही हो रहा है। अतः मुआवजा भुगतान हेतु दर निर्धारण की प्रक्रिया में निर्धारित माप दण्डों एवं सरकारी नीति/निर्णय की किसी प्रकार से अवहेलना नहीं की गई है। फलस्वरूप वादी द्वारा लाये गये वाद अन्तर्गत किया गया दावा स्वीकार योग्य नहीं है। इसे अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

8/6/18

आरबीट्रेटर
–सह–
अपर समाहर्त्ता
पटना।

3:01 pm
11/4/18